

#1308

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल

कपासन जिला

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1028

दायर दिनांक 9/10/25

निर्णय दिनांक

09/10/25



रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			कपासन आदेश	
1	कपास जयपुर	260	वर्तमान प्राविष्टी	—	शुद्ध प्राविष्टी	कपासन आदेश	
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम खानास कपासनी प.ह. कपासनी में वर्तमान प्राविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर कपासनी नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरायद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	कपासन आदेश
			हस्ताक्षर अरवरी	हस्ताक्षर गिरदाकर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रालिखित पालनाथ:-

पटवार भूखण्ड कपासन जिला चितौडगाढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरायद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चितौडगाढ

तहसीलदार कपासन